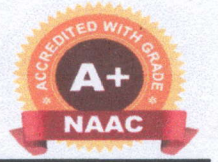




डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



पत्रांक : सम्ब0/783/2026 दिनांक : 07/01/2026

नोटिस

सेवा में,

सचिव/प्रबन्धक,
शान्ती देवी महाविद्यालय,
मैनपुरी। (कॉलेज कोड-327)

विषय:- महाविद्यालय द्वारा अवैध रूप से अनापत्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक निर्देशालय के पत्र संख्या डिग्री अर्थ-1/3411/2025-26 दिनांक 22.12.2025, डिग्री अर्थ-1/3473/2025-26 दिनांक 26.12.2025, डिग्री अर्थ-1/3510-11/2025-26 दिनांक 29.12.2025, डिग्री अर्थ-1/3971-73/2025-26 दिनांक 07.01.2026, शासन के पत्र संख्या सं0-1/1166783/2025/70-2099/397/2025 दिनांक 08.12.2025 तथा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा के पत्र संख्या क्षे0का0आ0/4074-75/2025-26 दिनांक 02.01.2026 के क्रम में अवगत कराना है कि महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

महाविद्यालय से सम्बन्धित पत्रावली के परीशीलन एवं अध्ययन के उपरान्त निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आये हैं-

1. अनापत्ति प्रमाण-पत्र संख्या एफिल/वी0सी0/1918/206 दिनांक 30.06.2015, जिसके माध्यम से बी0कॉम0, बी0एस0सी0 एवं एम0ए0 (शिक्षाशास्त्र) पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्राप्त की गयी थी, में गाटा संख्या 860, 854, 838, 842, 845(क), 853व तथा कुल रकबा 0.857 हे0 अंकित है।
2. विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्राप्त किये जाने के समय पत्रावली में संलग्न उपजिलाधिकारी, साद, मैनपुरी द्वारा दिनांक 30.09.2008 को जारी भूमि संयुक्तता प्रमाण-पत्र में गाटा संख्या 860/0.243 हे0 एवं 860/0.486 हे0, कुल क्षेत्रफल 0.729 हे0, दर्शाया गया है, जिन्हें परस्पर सम्बद्ध बताया गया है।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, मैनपुरी द्वारा दिनांक 25.08.2008 को जारी प्रमाण पत्र में भी गाटा संख्या 860/0.243 हे0 व गाटा संख्या 860/0.486 हे0 को आपस में सम्बद्ध बताते हुये कुल क्षेत्रफल 0.729 हे0 पर बी0ए0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु भवन निर्माण होना बताया गया है।

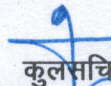
विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं राजस्व अभिलेखों के आधार पर ही महाविद्यालय को अनापत्ति प्रदान की गयी थी।

परन्तु उपजिलाधिकारी, मैनपुरी द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित आख्या पत्रांक 1821/एस0टी0 दिनांक 25 जून, 2025 (जिलाधिकारी, मैनपुरी से व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त) में यह उल्लेख किया गया है कि राजस्व अभिलेख खतौनी एवं महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बैनामा के अनुसार गाटा संख्या 860/0.729 हे0 में से केवल 0.234 हे0 रकबा पर शान्ती देवी महाविद्यालय, मैनपुरी का स्वामित्व है और यदि निर्गत मायन्ता पत्र में शान्ती देवी महाविद्यालय, मैनपुरी द्वारा मान्यता के समय गाटा संख्या 860 में अपनी भूमि 0.243 हे0 से अधिक अंकित है तो महाविद्यालय के विरुद्ध मान्यता के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

पत्रावली में सम्यक अध्ययन एवं उपजिलाधिकारी, मैनपुरी की आख्या से स्पष्ट है कि महाविद्यालय द्वारा गाटा संख्या 860 के 0.729 हे0 रकबे पर अपना स्वामित्व दर्शाते हुए अवैधानिक रूप से हेराफेरी कर मान्यता प्राप्त की गयी है जो कि प्रथम दृष्टया ही अवैध है और निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करना हो, तो आप दिनांक 09.01.2026 तक स्वयं अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष समस्त सम्बन्धित प्रमाणित अभिलेखों सहित उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में नियमानुसार अनापत्ति/मान्यता निरस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत करा दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबन्धन की होगी।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रभारी-कुलपति सचिवालय मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
3. एजेन्सी को इस निर्देश के प्रेषित की सूचना को महाविद्यालय की लॉगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल।


कुलसचिव